उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

दिनाँक 10 April 2013 को वित्त समीति की छठी बैठक कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समीति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में प्रातः 11:30 बजे सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया.

01). प्रो॰ सुभाष धूलिया — अध्यक्ष
कुलपति एवं अध्यक्ष
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

02 - श्री सुधीर चड्ढा — सदस्य
सदस्य कार्यपरिषद

03 - सुश्री कृष्णा रौतेला — सदस्य
सदस्य प्रमुख सचिव 'वित्त'

04 - श्रीमती मुकुल पंत — सदस्य
सदस्य प्रमुख सचिव 'उच्चशिक्षा'

05 - श्रीमती आभा गर्ब्याल — सचिव
सचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
के छठी वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय सभागार में दिनांक-१० अप्रैल २०१३ को वित्त समिति की छठी बैठक सम्पन्न हुई।

<u>बैठक में उपस्थिति :-</u>

1. प्रो0 सुभाष धूलिया — अध्यक्ष
   कुलपति

2. सुश्री कृष्णा रौंकली,
   अपर निदेशक, पेंशन एवं **लेखा** हकदारी, हल्द्वानी — सदस्य
   (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त)

3. डा0 मुकुल पन्त, — सदस्य
   निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड
   (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा)

4. श्री सुधीर चड्ढा, — सदस्य
   सदस्य, कार्य परिषद

5. श्रीमती आभा गर्ब्याल, — सदस्य सचिव
   वित्त अधिकारी

सर्वप्रथम सदस्य सचिव- श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त अधिकारी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति एवं अध्यक्ष, वित्त समिति की अनुमति से विश्वविद्यालय की वित्त समिति की छठी बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं0 6.01 : वित्त समिति की दिनांक–27 जून, 2012 को सम्पन्न हुई पंचम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

वित्त समिति की दिनांक 27 जून 2012 को संपन्न पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य द्वारा कोई सुझाव/ संशोधन प्रस्तावित नहीं हुआ, अतएव पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव सं0 6.02: वित्त समिति की दिनांक–27 जून, 2012 को सम्पन्न हुई पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।

समिति गत बैठक में पारित प्रस्तावों पर हुई कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। समिति ने मद स05.06 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में शासन से वेतन भत्ते व अन्य मदों हेतु की गई अनुपूरक मांग की शीघ्र स्वीकृति हेतु पुनः निवेदन करने का निर्देश दिया।

मद सं0 5.17 के बिन्दु 1 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के संबन्ध में सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के नये परिसर में 100 किलोवाट शक्ति का Solar Photo Voltaic (OFF-GRID) स्थापित किए जाने हेतु आवश्यक है कि परिसर में वर्तमान में विद्युतके demand load व Installed load का अन्तर देख लिया जाय तथा तदनुसार मासिक विद्युत व्यय के बिल को ध्यान में लिया जाय, इस पर केन्द्र द्वारा दी जा रही subsidy के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर ली जाय और यह भी देख लिया जाय कि सौर उर्जा प्लान्ट पर बार्षिक रखरखाव पर कितना व्यय आयेगा। उनका सुझाव था कि इस परियोजना के संबन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही अंतिम निर्णय लिया जाय।

इसी मद के बिन्दु 6 के अन्तर्गत कम्यूनिटी रेडियो के संचालन के संबन्ध में विश्वविद्यालय के कम्यूनिटी रेडियो केन्द्र को बहुआयामी बनाकर इससे अधिकाधिक जनमानस को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाय।

प्रस्ताव 6.03: वित्तीय वर्ष 2012–13 के आयोजनेत्तर पक्ष में आय–व्यय एवं वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित आय–व्यय का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आयोजनेत्तर पक्ष में शासन से प्राप्त अनुदान तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त धनराशि के विवरण का तथा उसके सापेक्ष व्यय का अवलोकन व अनुमोदन किया गया। वर्ष 2013-14 के लिए वेतन आदि मदों हेतु अनुमानित व्ययभार का भी अनुमोदन किया गया।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रस्ताव सं0 6.04: वित्तीय वर्ष 2012–13 के आयोजनागत पक्ष में शासन से प्राप्त धनराशि का विवरण।

समिति द्वारा वर्ष 2012-13 के आयोजनागत पक्ष में शासन से प्राप्त बजट का अवलोकन किया गया और निर्माण ऐजेन्सी से शीघ्रता से कार्य कराकर उपयोग प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये।

प्रस्ताव संख्या 6.05: वित्तीय वर्ष 2012–13 में शुल्क व अन्य श्रोतों से प्राप्त आय व व्यय पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में विश्वविद्यालय के अन्य श्रोतों से प्राप्त धनराशि के आय-व्यय विवरण का अवलोकन किया गया तथा दिये गये विवरण के अनुसार व्यय को अनुमोदित किया गया। समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि भविष्य में **शुल्क मद** के स्थान पर अन्य मदों से आय माना जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.06: दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से गत वर्ष 2011–12 व चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राप्त अनुदान के व्यय पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली से वर्ष 2011-12 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्त अनुदान राशि के अन्तर्गत किए गये कार्यों व उन पर किए गये व्यय के विवरण का अवलोकन किया गया तथा संतुष्टि व्यक्त करते हुए व्यय को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.07: दूरस्थ शिक्षा परिषद् से मानव संशाधन सहायता मद में प्राप्त राशि से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यो हेतु नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा प्रस्ताव में दिए गये विवरण का अवलोकन किया गया तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा **मानव संशाधन सहायता मद** से पोषित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु परिषद से अनुदान की प्राप्ति की प्रत्याशा में शुल्क मद से दैनिक/ मासिक मानदेय की दरों पर किए गये निम्न व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई:-

1. पी.एच0 डी0 एवं अर्हताधारक को रु0 1000 प्रतिदिन जो अधिकतम रु025,000 प्रतिमाह की सीमा तक।
2. पी.एच0 डी0 एवं उपाधिधारक अथवा नेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा एआइसीटीई के अनुसार अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों, को जो कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव रखते हों, को रु0 800 प्रतिदिन मानदेय, अधिकतम रु020,000/ प्रतिमाह की सीमा तक।
3. उक्त क्रमांक 1 व 2 पर उल्लिखित अर्हता न रखने वालों को रु0 600 प्रति दिन मानदेय जो अधिकतम रु015,000 प्रतिमाह की सीमा तक।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रस्ताव सं0 6.08: विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि शासन द्वारा आयोजनागत पक्ष में विश्वविद्यालय के नये परिसर **चाहरदीवारी एवं प्रशासनिक व अकैडमिक भवन के निमार्ण** कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु050.00 ल तथा वर्ष 2012-13 में रु0 286.49 की अनुदान राशि अवमुक्त की गई तथा वर्ष 2011-12 में अवमुक्त रु050.00 रु से 15.00 लाख **उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम लि0 भीमताल** को निर्माण कार्य हेतु डी.पी.आर. प्रस्तुत अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रदान किया गया था लेकिन उक्त संस्थान द्वारा लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की ग समिति को बताया गया कि **विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति** द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति की गई है। उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम लि0 भीमताल को उक्त धनराशि रु15.00 लाख ब्याज सहित वापस करा पत्राचार किया जाय तथा भविष्य में विश्व विद्यालय के निर्माण कार्य उक्त संस्था से न कराये जांय। वित्त समिति द्वा भवन निर्माण समिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारि निम्नलिखित प्रमुख निर्माण एजेन्सियों से प्राथमिकता के आधार पर वार्ताकर नेगोशियेशन के आधार पर निर्माण का कराये जाने की संस्तुति की गई है:-

1. नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रेक्शन कारपोरेशन
2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
3. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 पर इंगित निर्माण संस्थाओं ने समय सीमा में आगंणन प्रस्तुत करने में असमर्थ जतायी अतएव समिति द्वारा वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में शासन से अवमुक्त व वर्तमान में अवशेष धनराशि **रु0 3,21,49,000.00** से संबन्धित कार्य तथा भविष्य में कराये जाने वाले निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीयनिर्मा निगम से किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव सं0 6.09: राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड को पूर्व में भुगतान की गयी राशि रु0 15.00 लाख वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास निगम लि0 भीमताल को निर्माण कार्य की डी.पी.आर. आदि लिए दिए गये रु0 15.00 लाख की धनराशि ब्याज सहित वापस लिए जाने तथा ब्याज की दर के बारे में शासन से र लेने पर सहमति व्यक्त की गई।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रस्ताव संख्या 6.10: श्री एस0एस0 ग्वाल (परामर्शदाता हैण्डीक्राफ्ट) के मानदेय में वृद्धि किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति ने भारत सरकार द्वारा वित्तीय पोषित हैण्डीक्राफ्ट परियोजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यों की सराहना करते हुए परियोजना में नियोजित परामर्शदाता को वर्तमान में दिये जा रहे मानदेय रु08000 प्रतिमाह में बृद्धि कर मांह अप्रैल 2013 से **रु0 15000** प्रतिमाह किए जाने तथा उनकी सेवाओं के संतोषप्रद पाये जाने व परियोजना की स्वीकृति, वित्तीय उपलब्धता के आधार पर उनके नियोजन के विस्तार हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन दिया ।

प्रस्ताव संख्या 6.11 वरिष्ठ परामर्शदाता (आई0सी0टी0)/विशेषज्ञ के पद पर नियोजन तथा मानदेय अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा दिन प्रति दिन बढ़ रही आइ. सी. टी. की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में उसकी उपयोगिता को सुदृढ़ करने हेतु कुलपतिजी की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई तथा समिति द्वारा उनके प्रयासों की सराहना करते हुए एतदर्थ एक वरिष्ठ आइ. सी. टी. विशेषज्ञ/ परामर्शदाता की कुलपतिजी के विवेकानुसार निर्धारित अवधि तक नियोजन तथा प्रस्तावित विशेषज्ञ को दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा मानव संसाधन विकास हेतु दी जा रही अनुदान राशि से रु0 45,000 प्रतिमाह की नियत राशि की सीमा तक मानदेय दिये जाने का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्देश दिया कि संविदा के आधार पर नियोजित कार्मिकों को मानदेय भुगतान व वार्षिक वृद्धि के संबंध में शासन से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाय और शासन से निर्देश प्राप्त होने तक यथास्थिति बनाये रखी जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.12: शिक्षणेत्तर कार्यो हेतु नियोजित किये जाने वाले परामर्शदाताओं, समन्वयकों को देय मासिक मानदेय के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में नियमित अधिकारियों व कर्म चारियेां की कमी के कारण प्रशासनिक/ अकादमिक कार्यों के निर्वहन हेतु अस्थाई रूप से नियोजित सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार कार्यो व अवधि तक नियुक्त किए जाने तथा उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 173/XXX(2)/2013-3(1)2012 दिनांक 20 फरवरी 2013 के अनुसार अन्तिम आहरित वेतन (-) पेंशन राशि के बराबर मानेदय अनुमन्य किए जाने का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियोजित किये जाने पर अन्तिम आहरित वेतन (-) पेंशन राशि के बराबर मानेदय तथा अन्यथा स्थिति में नियोजित किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रस्ताव संख्या 6.13: विश्वविद्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा में शुल्क मद भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में वित्त समिति/ कार्य समिति के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय नियमित / संविदा पर नियमानुसार नियुक्त शिक्षकों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों को **आइ सी आइ सी आइ लोम्वा बीमा कम्पनी** के माध्यम से बीमित किया गया जिसके लिए वर्ष 2011-12 व 2012-13 में बजट प्रावधान न होने बीमाराशि का 50 प्रतिशत भुगतान वित्त समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में शुल्क राशि से वहन कर दिया गया है क्योंकि 14 मार्च 2013 को पूर्व बीमा की अवधि समाप्त हो रही था तथा उसका नवीनकरण अपरिहार्य समझा गया। कुलपतिजी द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि समयसीमा के कारण यह निर्णय लिया गया है। आगे इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त समुचित जांच व परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा। वर्णित परिस्थितियों में कुलपतिजी द्वारा लिए गये निर्णय का समिति द्वारा अनुमोदन करते हुए शुल्क मद से **आइ सी आइ सी आइ लोम्वार्ड बीमा कम्पनी** को किए गये रु0 782496.00 के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा भविष्य में इस योजना को बनाये रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से यथा समय अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गये। समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि **भारतीय जीवन बीमा निगम** से बीमा किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव संख्या 6.14: एम0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं देहरादून परिसर में 12 दिवसीय 2 संगोष्ठी आयोजित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।

समिति द्वारा मुख्यालय व देहरादूनमें एम.एड. पाठयक्रम के अन्तर्गत 12 दिवसीय 2 संगोष्ठियों के आयोजन तथा उन पर होने वाले लगभग रु0 5.15 लाख की धनराशि के व्यय हेतु निदेशक शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए उस पर आने वाले व्यय को विश्वविद्यालय के आय के श्रोतों से वहन किए जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.15: विश्व विद्यालय परीक्षा समिति की पंचम बैठक 22 अक्टूबर 2012 को पारित वित्तीय उपाशय विषयक मदों पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव के निम्नानुसार चारों बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया तथा सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए उनमें इंगित वित्तीय अभिमत पर सहमति प्रदान की गई।

1. विश्वविद्यालय की सेमेस्टर / बार्षिक परीक्षाओं के कार्य संपादन हेतु 2 से 3 सहायक परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति हेतु विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कुलपतिजी अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकते हैं। सहायक परीक्षा नियंत्रक को प्रति परीक्षा रु0 10,000 मानदेय देय होगा। सहायक परीक्षा नियंत्रक, सहायक प्राध्यापक में से ही नियुक्त किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

2. परीक्षा केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति में अवरोध होने की दशा में जनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु प्रति परीक्षा में रु0500 तथा पूरी परीक्षा अवधि में अधिकतम रु0 3000 तक का व्यय अनुमन्य किए जाने का अनुमोदन किया गया।

3. परीक्षा संचालन हेतु प्रस्तावित अनुषांगिक व्यय के लिए 500 परीक्षार्थियों तक रु01500 तथा 500 से अधिक परीक्षार्थियेां पर रु0 3000 अग्रिम दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

4. प्रकरण पर परीक्षा समिति द्वारा पुनर्विचार कर पूर्ण औचित्य के साथ पुन: वित्त समिति के सम्मुख अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.16: छात्र कल्याण एवं समन्वय केन्द्र की स्थापना पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय की पहल पर देहरादून में दिनांक 24 से 28 फरवरी 2013 तक आयोजित **उत्तराखण्ड अंतर विश्वविद्यालयीय युवा महोत्सव** में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रतिभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उक्त आयोजन में विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए गये रु0**1,92,233.00** के व्यय की कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के व्यक्तित्व विकास के आयोजनों के लिए तथा उनमें विद्यार्थियों की प्रतिभागिता के लिए प्रति विद्यार्थी रु0 100/- अतिरिक्त शुल्क प्राप्त करने व उससे एक **छात्र कल्याण निधि** स्थापित किए जाने का अनुमोदन किया गया तथा ऐसे आयोजनों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों व समन्वयकों के दैनिक भत्ते व अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति उक्त कल्याण निधि से तथा आयोजनों को संचालित किए जाने हेतु एक समन्वय केन्द्र की स्थापना किये जाने का भी अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.17: विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को शुल्क वापसी के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के अध्याय 2 के बिन्दु 5(3) में शुल्क वापसी के संबन्ध में नीचे उद्धृत नियम के आधार पर निर्णय लिए जाने हेतु कुलपति को अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया :-

"विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाये जाने अथवा किसी अन्य कारण के अलावा आवेदन पत्र के साथ जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। "

प्रस्ताव संख्या 6.18: परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव के बिन्दु 1 पर परीक्षा कार्य हेतु तैनात पर्यवेक्षकों को वर्तमान में स्वीकृत मानदेय की दर रु0 700 से बढ़ाकर रु0 900 करने तथा महंगाई भत्ता शासनादेशों के अनुसार दिये जाने का अनुमोदन किया गया।
बिन्दु 2 पर ढुलान कार्य हेतु कुमाऊ मंडल विकास निगम की दरों तथा शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार व्यय किए जाने पर अनुमोदन किया गया।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

बिन्दु 3.1 पर शोध प्रवेश परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र की संरचना के लिए उत्तराखण्ड के अन्य विश्वविद्यालयों की दरों के औसत के आधार पर दरें अनुमन्य किए जाने का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु 3.2 पर प्रश्न पत्रों के अनुवाद के लिए रु010 प्रति प्रश्न अतिरिक्त अनुमन्य किए जाने का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु 3.3 पर दीर्घ व लघु उत्तयरीय प्रश्नों की संरचना हेतु उत्तराखण्ड के अन्य विश्वविद्यालयों की दरों के औसत के आधार पर अनुमन्य किए जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.19: इम्प्रेस्ट मनी की व्यवस्था पर विचार एवं अनुमोदन।

सामिति द्वारा इम्प्रेरस्ट मनी की धनराशि के पुनर्निधारण पर विचार किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए रु0 4,000/- व अतिरिक्त परिसर देहरादून के लिए रु0 15,000/- की धनराशि का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों को रु0 1,000/- की धनराशि व कुलपति कार्यालय के लिए रु0 5,000/- की धनराशि का अनुमोदन किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा आयुष अध्ययन केन्द्रों के लिए वर्तमान में जो इम्प्रेस्ट मनी स्वीकृत है उसे समाप्त कर दिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.20 : योग विषय के अध्ययन बोर्ड की बैठक 18 अप्रैल 2012 में विभिन्न शुल्कों का निर्धारण के सम्बन्ध विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा योग विषय के विद्यार्थियों से कार्यशाला शुल्क के रूप में रु0 500 प्रति विद्यार्थी लिए जाने का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त शुल्क प्रारम्भ में ही अन्य शुल्क के साथ ही ले लिया जाय तथा इसका उल्लेख विवरणिका में भी किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.21: सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार सितारगंज में विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने तथा अध्ययन केन्द्र हेतु निर्धारित प्रतिभूति राशि, पंजीकरण, प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क न लिये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचार किया गया तथा उक्त कारागार में कैदियों के ज्ञान वर्धन व व्यवसायिक प्रशिक्षण से होने वाले समाज सुधार को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि सम्पूर्णानन्द शिविर /केन्द्रीय कारागार सितारगंज द्वारा यदि अध्ययन केन्द्र संस्थापित करने का प्रस्ताव आता है तो उक्त केन्द्र को आवेदन शुल्क रु0 10,000/- तथा प्रतिभूति राशि रु0 25,000/- जमा करने के साथ ही बन्दियों से प्रवेश शुल्क व परीक्षा शुल्क दिए जाने की छूट प्रदान कर दी जाय। जेल प्रशासन के अनुरोध पर परामर्श सत्र हेतु जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी भुगतान के सहयोग से किया जायेगा। तथा विश्वविद्यालय द्वारा पाठय सामग्री उपलब्ध कराये जाने पर वास्तविक लागत का भुगतान जेल प्रशासन द्वारा किये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रस्ताव संख्या 6.22: इकाई लेखन के भुगतान दरों में संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा स्तरीय पाठ्य सामग्री के लेखन एवं सम्पादन कार्य हेतु IGNOU द्वारा निर्धारित दरों को विश्वविद्याय में अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.23: कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा के अधीन पी0जी0डी0सी0ए0–11 संचालित पाठ्यक्रम के शुल्क में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा कम्प्यूटर विज्ञान के **पी.जी.डी.सी.ए.-11 पाठ्यक्रम** के वर्तमान शुल्क को कुमाऊं विश्व विद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम के लिए कम शुल्क को ध्यान में रखते हुए अगले शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से रु0 19,000 के स्थान पर रु0 10,000 किए जाने का अनुमोदन किया गया जिसका भुगतान विद्यार्थी को रु0 5000 प्रति सेमेस्टर के आधार पर करना होगा।

प्रस्ताव संख्या 6.24: विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यो हेतु आमंत्रित विषय विशेषज्ञों को सीटिंग शुल्क देने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में विभिन्न अकादमिक / प्रशासनिक कार्यों हेतु आमंन्त्रित विशेषज्ञों को बैठकों में भाग लेने हेतु मानदेय की दरें माह अप्रैल 2013 से निम्नानुसार अनुमन्य किए जाने का अनुमोदन किया गया:-

क्रम सं0	प्राधिकारी का नाम	वर्तमान मानदेय	प्रस्तावित मानदेय
1.	अध्ययन बोर्ड, मान्यता बोर्ड, योजना बोर्ड विद्या परिषद, वित्त समिति, परीक्षा समिति	रू0 1000/–	रू0 1500/–
2.	चयन समिति	रू0 1500/–	रू0 2250/–
3.	कार्य परिषद	रू0 2000/–	रू0 3000/–

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रस्ताव संख्या 6.25: विश्वविद्यालय के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, एवं वित्त नियंत्रक हेतु वाह क्रय किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। समिति ने मत व्यक्त किया कि नये वाहन क्रय करने पूर्व यह देख लिया जाय कि क्या विश्वविद्यालय की वाहनों की आवश्यकता प्राइवेट टैक्सी से पूर्ण क जा सकती है अथवा विश्वविद्यालय के अपने वाहन होना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार टैक्स की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्राइवेट टैक्सी एसोशिएसेसन अथवा टैक्सी ऑनर्स से आवश्यकतानुसा अनुबन्ध के आधार पर वाहन प्राप्त किया जाना उचित व किफायती होगा। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्णकालि अधिकारियों के लिए, जिन्हे वाहन की सुविधा अनुमन्य है, शासनादेशानुसार निजी वाहन के उपयोग/ आउटसोर्स से वाह प्राप्ति के विकल्प पर विचार करने का सुझाव दिया।

कुलपतिजी द्वारा प्रयुक्त वाहन के उपयुक्त होने की महत्ता को तथा वर्तमान वाहन का पर्याप्त उपयोगहो जाने तथ्य को उल्लिखित करते हुए एक नये वाहन के क्रय की स्वीकृति प्राप्ति हेतु शासन से अनुमोदनप्राप्त कर लिया जाय। जिसमें यह भी उल्लेख किया जाय कि वाहन क्रय विश्वविद्यालय के निर्ज स्त्रोत से किया जायेगा तथा इस मद में शासन पर कोई व्ययभार नहीं आयेगा।

प्रस्ताव संख्या 6.26: विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के वेतन में वृद्वि का प्रस्ताव।

समिति ने मत व्यक्त किया कि उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के मानदेय का निर्णय शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है। अत: प्रकरण वित्त समिति के द्वारा विचारणीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 6.26 (अ)- अकादमिक परामर्शदाता/ अकादमिक एशोसिएट तथा प्रशासनिक परामर्शदाताओं के चयन तथा उन्हें दिए जाने वाले मानदेय की दरों पर विचार।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत अनुमोदन किया गया कि -

अ- माह अप्रैल 2013 से आगे के लिए आवश्यकतानुसार दूरस्थ शिक्षा परिषद दिल्ली द्वारा वित्त पोषण/ विश्वविद्यालय के अन्य श्रोतों से उपलब्ध आय के सापेक्ष अकादमिक परामर्शदाताओं/अकादमिक एशोसिएटस तथा प्रशासनिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति चयन के आधार पर कर ली जाय,

ब- अकादमिक परामर्शदाता का पदनाम **अकादमिक एसोसिएट** किया जाय,

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

स- अकादमिक एसोसिएट के लिए मानदेय का निर्धारण IGNOU की व्यवस्थाओं के आधार पर प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप तीन स्तरों पर क्रमशः रु030,000 से 37,500 तक, रु020,000 से रु025,000 तक तथा रु015,000 से 20,000 तक अर्हता के अनुरूप किया जाय, तथा

द- सेवानिवृत्त, पेंशन प्राप्त कर रहे, प्रशासनिक परामर्शदाताओं को शासनदेश संख्या 319/XXVII-7/2012 दिनांक 21 नवम्बर 2012 व संख्या 173/XXX(2)/2013-3(1)2012 दिनांक 20 फरवरी 2013 के अनुरूप मानदेय तथा अधिकारी स्तर के परामर्शदाताओं को शासनादेश संख्या-596/XVII-3/11-09(17)04 दिनांक 18 नवम्बर 2011 के अनुसार उपनल द्वारा अधिकारी वर्ग के लिये निर्धारित मानदेय प्रतिमाह रु0 27,763 तक की सीमा तक दिया जाय।

समिति की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(प्रो0 सुभाष धूलिया)
कुलपति/ अध्यक्ष

(आभा गर्ब्याल)
वित्त अधिकारी / सदस्य सचिव